प्रारूप– क

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2002 ई0 के माह के ....वे दिन, तदनुसार शक सम्वत .... के मास के .... वे दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल,(जिनको यहां आगे चलकर केता कहा गया है) तथा श्री .... पुत्र .... निवासी .... डाकखाना ....तहसील .... जिला गोरखपुर ,(जिनको यहां आगे चलकर केता कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य कहा गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं श्री .... पुत्र .... निवासी .... के मध्य निष्पादित विकय विलेख दिनांक .... जो बही संख्या ....जिल्द संख्या .... के पृष्ट सं0 .... पर विलेख संख्या............के रूप में सबरजिस्ट्रार सदर जदपद सुल्तानपुर के कार्यालय में दिनांक .... को रजिस्टर्ड है। जिसे आगे पट्टा विलेख कहा गया है और जिसमें राज्यपाल को पट्टादाता और श्री...................................... पुत्र .... निवासी ....गोरखपुर (को पट्टेदार कहा गया है) के अनुसार केता पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसका की वह केता है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवम् निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या–1562/9–आ–4–92 शासनादेश संख्या–3632/91–आ–4–92–293 एन/90, दिनांक 02–12–92 शासनादेश संख्या–2093/9–आ–293एन/90,दिनांक 03–10–94 शासनादेश संख्या–3082/9–आ–4–95–628एन/95,दिनांक 01–01–96, शासनादेश संख्या–82/आ–4–96–629 एन 95,दिनांक 17–02–96, शासनादेश संख्या–1300/9–आ–4–97–260एन/97 दिनांक 26–09–7, शासनादेश संख्या–667/9–आ–4–98–691/97 (टी0सी0) दिनांक 23, अप्रैल 1998, शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–794एन/97,दिनांक 01–12–98 एवम् शासनादेश संख्या–1592/9–आ–4–99–691/एन/97, (टी0सी0) दिनांक 20–05–99 में निर्दिश्ट निर्देशानुसार लैण्ड घोषित करने तथा उस परकेता जोनिजी स्वामित्स प्रदान करने हेतुजिला अधिकारी जनपद–गोरखपुर को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया गया है और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवम् निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704 एन/97 दिनांक 01 दिसम्बर 1998 के अनुसार स्व मूल्यांकन की धनराशि रूपये– /–( ) ट्रेजरी चालान संख्या– दिनांक द्वारा तथा दिनांक को निर्गत मांग पत्र की धनराशि/ रूपये– ( ) ट्रेजरी चालान संख्या– दिनांक– द्वारा इस सम्पूर्ण आंकिलित निर्धारित मूल्य रू0 /– ( ) केता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, गोरखपुर आगे वर्णित शर्तो के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्रीहोल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर केता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतुएतद्द्वारा सहमत है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट (सन 1895 ई0 का एक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित कर विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड केता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु केता द्वारा विकेता को कुल धनराशि रूपये– ( ) जनपद–गोरखपुर स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विकेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो जिनका केता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विकेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, में विनिर्दिष्ट आवासीय भू–उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर केता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और केता उसके दयाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

प्रपत्र संख्या–2

शासनादेश संख्या–1258/9–आ–4–97–629एन/95 (टी0सी0) दिनांक 15 जुलाई 1997

संलग्नक

1– नजूल भूखण्ड का विवरण–

(1) भूखण्ड संख्या एवम् स्थिति–

(2) नजूल भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई–

(3) पट्टागत सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल–

2– सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में फ्रीहोल्ड किया जाना प्रस्तावित है

(1) भूखण्ड का क्षेत्रफल मानचित्र सहित

(2) विक्रय पत्र/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति

3– यदि पट्टागत भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी है तो उसका विवरण

4– (क) विक्रय विलेख/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति

	हस्तान्तरणी/ क्रेता का नाम	हस्तान्तरित क्षेत्रफल	हस्तान्तरण की तिथि	कब्जा देने की तिथि
(1)				
(2)				
(3)				

(ख) हस्तानान्तरण/कब्जा देने की कार्यवाही पट्टे की शर्तो के अनुसार की गयी है अथवा नहीं

5– पट्टे के किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यदि उल्लंघन हुआ है तो उसका विवरण

6– पट्टागत भूमि का वर्तमान में भू–उपयोग एवम् भूमि का दिनांक को निर्धारित सर्किल रेट।

7– फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन पत्र दिनांक को निर्धारित सामान्य दर के आधार पर देय धनराशि।

8– पट्टागत भूमि नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु पट्टाधारक की निर्धारित स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

9– नामित व्यक्ति द्वारा भूमि को फ्रीहोल्ड करने हेतु उपलब्ध कराया गया सहमति पत्र। निर्धारित स्टाम्प पेपर पर। (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

10– नामित व्यक्ति का निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (इन्डेनिटी बाण्ड) निर्धारित स्टाम्प पेपर पर।

11– नजूल भूखण्ड के क्रेता जिनके प्रकरण मे पट्टाधारक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है उन मामलो में निम्न सूचना अभिलेख संलग्न किया जाना हैं।

(1) पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति एवम् स्टाम्प पेपर पर शासन की नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड कराने विषयक सहमति पत्र।

(2) क्रेता की ओर से रू0 100/– (एक सौ रूपये मात्र) का स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति (इन्डेनिटी बाण्ड)

12– पट्टागत अथवा पूर्व पट्टागत नजूल भूमि के ऐसे मामलों एवम् पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग को विक्रय करने हेतु पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध किया जाता है, में निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाना है :–

(1) पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध की प्रमाणित षासन की नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड कराने हेतु अनुबन्धकर्ता की स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति।

(2) प्रस्तावित क्रेता/अनुबन्धकर्ता की ओर से निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धपत्र जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है और पट्टेदार याउसके विधिक उत्तराधिकारी की ओर से अनुबन्ध की शर्तो को लागू करने हेतु माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय अथवा किसी सक्षम न्यायालय में रिट याचिका/वाद प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय के निर्णय के अनुपालन का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता/प्रस्तावित क्रेता का होगा।

(3) जिन मामलों में पट्टाधारक द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति उपलब्ध करा दी जाती है उन मामलों में भी क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (इन्डिनिटी बाण्ड) रूपये 100/–(एक सौ रूपये मात्र) पर अनुबन्धकर्ता/प्रस्तावित क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com